भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4158
13.12.2019 को उत्तर के लिए

एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण

4158. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
डॉ॰ डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार और जंगल-वार एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) गत दशक के दौरान स्वभाविक रूप से मरने वाले तथा अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों की कुल वर्ष और राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का देश में मौजूदा वन्य जीव संरक्षण तंत्र की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) गैंडों और अन्य संकटापन्न जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने में सरकार के समक्ष क्या समस्याएं आ रही हैं; और
(च) विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में उन संकटापन्न जीवों के अंधाधुंध अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) भारत में एक सींग वाले गैंडे वन्य अवस्था में केवल तीन राज्यों, नामशः, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवधिक रूप से राज्य स्तर पर गैंडों की गणना की जाती है।

एक सींग वाले गैंडों की संख्या का राज्य-वार आकलन निम्नवत है:

राज्य	संख्या की गणना का वर्ष	एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या
असम	2018	2650
उत्तर प्रदेश	2015	34
पश्चिम बंगाल	2019	289

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, स्वभाविक रूप से मरने वाले और अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए एक सींग वाले गैंडों का रिकार्ड निम्नवत है:

राज्य : असम		
वर्ष	**स्वाभाविक रूप से मरने वाले गैंडे**	**अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडे**
2009	64	14
2010	75	8
2011	61	12
2012	114	17
2013	83	37

2014	62	32
2015	64	21
2016	105	22
2017	153	9
2018	88	7
(चालू वर्ष) 2019	85	3

राज्य: पश्चिम बंगाल		
वर्ष	**स्वाभाविक रूप से मरने वाले गैंडे**	**अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडे**
2010-11	3	0
2011-12	7	0
2012-13	8	0
2013-14	5	0
2014-15	7	6
2015-16	7	2
2016-17	8	0
2017-18	8	3
2018-19	6	1
2019-20 (06.12.2019 तक)	3	1

(ग) और (घ) सरकार द्वारा वन्यजीवों की प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु आवधिक रूप से मौजूदा वन्यजीव संरक्षण तंत्रों की समीक्षा की जाती है।

(ङ.) सरकार द्वारा एक-सींग वाले गैंडों और अन्य संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पेश आ रही परेशानियों में अवैध शिकार के कार्यकलाप, फ्रंट लाइन स्टाफ की कमी, वन विभाग आदि के पास कम संख्या में अत्यानुधनिक हाथियारों और उपकरणों का होना है।

(च) विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में इन संकटापन्न पशुओं के अंधाधुंध अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराधों में प्रयुक्त किए गए किसी उपकरण, वाहन अथवा शिकार को जब्त करने का प्रावधान भी है।

ii. उद्यानों में इलेक्ट्रोनिक आई सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन वाच टावर्स के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखने के लिए व्यवस्था की गई है।

iii. राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में और उनके आस-पास प्रभावी निगरानी रखने के लिए शिकार-रोधी शिविरों की संख्या बढ़ा दी गई है।

iv. संदिग्ध अवैध शिकारियों को पकड़ने के लिए वन, पुलिस और एसटीएफ द्वारा नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाया जाता है और नियमित रूप से संयुक्त गश्त लगाई जाती है।

v. संचार और बेतार नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया गया है।

vi. एक सींग वाला गैंडा, 'वन्यजीव वास-स्थलों का विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत एक घटक, 'गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के लिए बहाली कार्यक्रम'' के लिए अभिज्ञात की गई 21 प्रजातियों में से एक है। इस स्कीम के तहत इन प्रजातियों की बहाली करने और सुरक्षा करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

vii. तीन राज्यों में अधिकांश गैंडा वास-स्थलों को बाघ-रिजर्वों के तहत शामिल किया गया है। इन राज्यों में बाघ की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 'बाघ परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्रदान की गई निधियाँ, एक सींग वाले गैंडे सहित अन्य पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु भी प्रदान की जाती हैं। गैंडों की आबादी वाले अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के लिए 'वन्यजीव वास-स्थलों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

viii. पुलिस, बीएसएफ, कस्टम, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) इत्यादि जैसे विभिन्न समानांतर कानून प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वयन।

ix. सूचना को साझा करने और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ समन्वयन।

x. जेएफएमसी और स्थानीय ग्रामवासियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर।

xi. सुरक्षा कार्यों में लगे स्टाफ के लिए हथियारों और गोला-बारूद का प्रावधान करना।

****